न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 41/2014 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2015/00076

उनवान

1. जहॉगीर पुत्र उमराव जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर ।
2. चिनुआ पुत्र उमराव (मृतक)
   - 2/1. जैनव वेवा चिनुआ
   - 2/2. अन्नो खॉ } पुत्रान चिनुआ
   - 2/3. रनताहिर }
   - 2/4. मूमताज
   - 2/5. भूरी } पुत्रीयान चिनुआ
   - 2/6. सितारा बानो
   - 2/7. मदीना

   जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती फूलवती पुत्री हरीराम पत्नी हीरालाल जाति जाटव निवासी ग्राम हरनगर बैधपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब वैर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

3. बतूला
4. मुनीर
5. सरदार
6. भवूती
7. मनुआ

पिसरान उमरावज जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी वैर दि0 13.07.2004 प्र.सं. 292/2001 उनवानी जहॉगीर बनाम फूलवती।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री तालेराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक वाद वास्ते डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 357 रकवा 02 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम भगोरा तहसील वैर में स्थित है, जिसे अपीलाण्ट/वादीगण एवं तरतीवी रैस्पो0/प्रतिवादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी मौके पर कब्जा काश्त विद्यमान है। उक्त विवादित आराजी से रैस्पो0/प्रतिवादीगण का आज तक कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। परन्तु कागजात पटवार में मृतक हरीराम के नाम गलत रूप से गैर खातेदारी का इन्द्राज होने की वजह से उसकी वारिस रैस्पो0/प्रतिवादिनी मुस0 फूलवती के मन में बदयान्ती आ गई है एवं उक्त आराजी में विरासत के आधार पर अपने नाम दाखिला खारिज करवा कर अपीलाण्ट/वादीगण व तरतीरवी रैस्पो0/प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल व महरूम करना पर आमदा है। यदि रैस्पो0/प्रतिवादिनी अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में कामयाब हो गयी तो अपीलाण्ट/वादीगण व तरतीवी रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति से महरूम हो जावेगें। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, अपीलाधीन आदेश से राजीनामा के आधार पर डिक्री करने के बजाय खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण नही कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर अपने पिता उमराव की मृत्युपरान्त कब्जा काश्त है। असल रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात भी गलत हो रखे हैं। इसकी पुष्टि में रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के हक में राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए, अपीलाण्ट के कब्जे को स्वीकार किया। किन्तु अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा अपने स्तर से, अपीलाण्ट की जानकारी में लाये बिना एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2004 को प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के दावा को राजीनामा के आधार पर डिक्री कराने के स्थान पर खारिज करा दिया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दावा अपीलाण्ट डिक्री ना करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि जब रैस्पो0 ने बाई एडमीशन अपीलाण्ट का कब्जा स्वीकार कर लिया था, तो उन्हें कब्जे काश्त के आधार पर अपीलाण्ट के हक में दावा डिक्री करना चाहिए था। उक्त आदेश की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं होने एवं कुछ समय बाद अपने अभिभाषक से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि, दावा खारिज हो गया है एवं आदेश की नकल जिला अभिलेखागार भरतपुर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त की जा सकती है, तब जाकर अपीलाण्ट ने जिला अभिलेखागार से नकल प्राप्त कर, जानकारी की दिनांक से मय शपथ पत्र अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गयी है। अन्त में अपील अपीलाण्ट जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार करते हुए, स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2004 की अपील दिनांक 07.05.2015 को लगभग 10 वर्ष 10 माह बाद प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद बाहर है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं अपीलाण्ट गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अतः इस राजीनामा से अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारो का अन्य गैर अनुसूचित जाति के पक्षकार को हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के आलोक में अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2004 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2015 को करीब 10 वर्ष 10 माह की देरी से धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र (मय शपथ–पत्र) के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कोई तर्कसंगत कारण स्पष्ट नही किया गया है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय, अपीलाण्ट पक्ष को पूर्णतः सुना जाकर, उनकी पूर्ण जानकारी में पारित हुआ है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण वांच्छित था, जो नहीं दिया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2055–58 के खाता संख्या 351 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 357 हरीराम पुत्र घंसी कौम चमार निवासी समराया के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अथवा प्रस्तुत अपील में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य/संविदा प्रस्तुत नहीं की है, जिसमें विवादित आराजी पूर्व में उनके अथवा उनके पूर्वजो के नाम दर्ज रही हो एवं उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। मात्र मौखिक कथन एवं दावें में उल्लेख के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना दस्तावेजी साक्ष्य, कथित राजीनामा भी अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावा अपीलाण्ट खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करने योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पातें हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2004 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official